

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग / Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन / Anushakti Bhavan,
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई / Mumbai - 400 001
ई-मेल / Email: sectcord@dae.gov.in

No. 20/6/2022-SCS/E-File/ 7620 .

Dated: - 31 -05- 2022

पृष्ठांकन / ENDORSEMENT

विषय /: Nomination by pensioners under the Payment of
Subject: Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for
payment of life- time arrears. – Regarding.

उपरोक्त विषय पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 06.04.2022 के पत्र संख्या 1/2(40)/2022-P&PW (E) की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of Letter No.1/2(40)/2022-P&PW (E) dated 06.04.2022 received from Department of Pension and Pensioners' Welfare, New Delhi on the above-mentioned subject is forwarded for information and necessary action.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्न / Encl.: 13 pages.

(मिनिजा रमेश / Minija Ramesh)
अनुभाग अधिकारी (एस. सी. एस) / Section Officer (S.C.S)
(022 – 22862661)

पऊवि के सभी संघटक इकाईयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक प्रधान।
All Administrative Heads of Constituent Units/PSUs/Aided Institutions of DAE.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. All Heads of Constituent Units /PSUs/Aided Institutions of DAE.
2. CCA, DAE – For kind information
3. Under Secretary (Admin), DAE – For information and necessary action of any w.r.t DAE Sect., Mumbai
4. Pay and Accounts Officer, DAE – For kind information.
5. पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग / All Officers & Sections in DAE Secretariat.-DARPAN
6. सचिव, स्टाफ साइड, पऊवि विभागीय परिषद् / Secretary, Staff Side, DAE Departmental Council.
7. गार्ड फाइल संख्या : 109/SCS-DAE – For filing
8. E-File No: 20/6/2022-SCS/E-File – For digital filing.

सं.1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी

विषय: पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.03.2022 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.03.2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-235 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसमें पेंशनभोगी द्वारा जीवन-काल बकायों के नामनिर्देशन के लिए प्रपत्र 'क' निर्धारित किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष के साथ-साथ बैंक को नामनिर्देशन जमा करने के लिए इस प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा। अतः, बैंक को नामनिर्देशन/उपांतरण जमा करने के लिए 28.03.2014 से पूर्व प्रयोग किया जा रहा प्रपत्र-'ख', अब अस्तित्व में नहीं है।

2. इस विभाग में संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि मृतक पेंशनभोगियों की पेंशन प्रायः वेतन आयोग आदि की सिफारिश के आधार पर संशोधित नहीं की जाती है और पेंशन संवितरण बैंक द्वारा मृतक पेंशनभोगी की बाबत पेंशन के बकायों का संदाय नामनिर्देशिनी को नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो 01.01.2016 को जीवित थे, की बाबत संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाना अपेक्षित है और ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी मृत्यु 01.01.2016 के पश्चात् हुई है, के परिवारों को जीवन-काल बकायों का संदाय करना अपेक्षित है।

3. मृतक पेंशनभोगी, जिसके मामले में; पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक के पास वैध नामनिर्देशन मौजूद है के संबंध में बकायों का भुगतान। इस संबंध में, नई योजना पुस्तिका (5वां संस्करण, जुलाई 2021) के पैरा 21.5.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नवत पुनः प्रस्तुत है:-

21.5.1- ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में है:


सीपीपीसी पीपीओ के संवितरणकर्ता भाग में पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख दर्ज करेगा और इस जानकारी को उपयुक्त ऑडिट ट्रेल के साथ अपने डेटाबेस पर और अनुबंध-IX के रूप में उनके सॉफ्टवेयर में बनाए गए रजिस्टर में रखेगा। पीएचबी द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि पेंशनभोगी के आधे भाग में की जाएगी। यदि कुटुंब पेंशन उसी पीपीओ द्वारा अधिकृत है, तो पीपीओ के पेंशनभोगी का आधा भाग नामनिर्देशिनी को वापस किया जाएगा; अन्यथा इसे सीपीपीसी द्वारा संवितरणकर्ता के आधे भाग के साथ सीपीओ को वापस

कर दिया जाएगा। सीपीएओ अपने रिकॉर्ड को अद्यतित करेगा और अपने रिकॉर्ड में आवश्यक नोट रखने के बाद पीपीओ के दोनों हिस्सों को पीएओ/एजी को प्रेषित करेगा, जिन्होंने इस कार्रवाई और रिकॉर्ड के लिए पीपीओ जारी किया था। नामनिर्देशिती को बकायों के संदाय के लिए, बकायों की अवधि दर्शाते हुए पेंशनभोगी के पीपीओ के आधे भाग के साथ पीएचबी में आवेदन करने को कहा जाएगा। पीएचबी, इस तथ्य कि संदाय वास्तव में मृतक पेंशनभोगी को देय है, और नामनिर्देशन में दिए गए नामनिर्देशिती के विवरण की पुष्टि करने के बाद, दावेदार के खाते में जमा करके संदाय करने के लिए पीपीओ के पेंशनभोगियों के भाग के साथ सीपीपीसी को सूचित करेगा। इस नियम के उपबंध उन मामलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा जहां कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु, उसके पुनर्विवाह/विवाह या पेंशनभोगी द्वारा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु प्राप्त करने पर कुटुंब पेंशन का संदाय बंद हो जाता है।

21.5.2- ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है:-

पेंशनभोगी द्वारा कोई नामनिर्देशन न किए जाने पर, उसकी पेंशन के बकायों का संदाय भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 10.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/22/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

4. उपरोक्त निर्देश सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किए जाएं।
5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(संजय शंकर)

उप सचिव, भारत सरकार

फोन-24635979

प्रति:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. सीजीए/सीपीएओ
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

No. 1/2(40)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated April 6, 2022

To

The CMDs of Pension Disbursing Banks
CPPCs of Pension Disbursing Banks

Subject: Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.

In continuation of DoP&PW Letter of even number dated 31.03.2022, the undersigned is directed to enclose a copy of Notification No GSR-235 dated 28.03.2014 wherein Form-A has been prescribed for Nomination by a pensioner for life time arrears. This Form is to be used for submission of nomination to Head of Office as well as Bank. Therefore, Form-B which was being used for submission of nomination/modification to the Bank before 28.03.2014 no longer exists.

2. References/representations have been received in this Department mentioning that Pension of deceased pensioners is not often revised based on recommendation of Pay Commission etc and arrears of pension in respect of deceased pensioner are not paid by the Pension Disbursing Bank to the nominee. It is clarified that revised pension payment authority is required to be issued in respect of all pensioners/family pensioners who were alive as on 01.01.2016 and lifetime arrears is required to be paid to the families of such pensioners/family pensioners who died after 01.01.2016.

3. Payment of Arrears in respect of deceased pensioner, in whose case; a valid nomination exists with the Pension Disbursing Authority/Bank. In this connection, attention is invited to para 21.5.1 of the new Scheme Booklet, (5th Edition, July 2021) which is reproduced below:-


21.5.1- Cases where valid nomination exists:

The CPPC will enter the date of death of the pensioner in the disburser's portion of the PPO and will retain this information on its database with suitable audit trail and in the register maintained in their software in the form as Annexure-IX. An entry for date of death of the pensioner will be made in pensioner's half by PAHB. The pensioner's half of PPO will then be returned to the nominee if family pension stands authorised through the same PPO; otherwise it will be returned by CPPC to CPAO along with the disburser's half. The CPAO will up-date its record and transmit both halves of the PPO after keeping necessary note in their records to the PAO/AG who had issued the PPO for similar action and record. For payment of arrears to the nominee, he/she will be asked to apply for the same to the PAHB along with the pensioner's half of the PPO showing the period of arrears. The PAHB, after verifying the fact that the payment is actually due to the deceased pensioner, and also the particulars of the nominee as given in the nomination, will intimate the CPPC along with pensioners portion of PPO for making payment by crediting the account of the claimant. The provision of this rule will apply mutatis mutandis to cases where the family pension ceases to be payable either due to death of the family pensioner, his/her remarriage/marriage or on the pensioner attaining the maximum age prescribed in the rules.

21.5.2- Cases where valid nomination does not exist:-

In the absence of any nomination made by the pensioner, the arrear of his/her pension are paid as per procedure prescribed in the Government of India, Ministry of PPG & Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare New Delhi OM No. 1/22/2012-P&PW (E) dated 10.07.2013.

- 4 The above instructions may be circulated widely for strict compliance by all concerned.
- 5 This issues with the approval of Competent Authority.



(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India
Ph-24635979

Copy to:-

1. All Ministries/Departments
2. CGA/CPAO
3. C&AG/AGs
4. NIC for uploading on Department's Website

14. S.O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S.O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिनी की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमाम्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं०

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : —

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य (कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी पदनाम..... कार्यालय..... द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख, प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ खंड पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम
प्राप्ति की तारीख

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।”

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का०आ० 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1. का०आ० 789, तारीख 17/03/1984
2. का०आ० 4351, तारीख 15/12/1984
3. का०आ० 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,—
(a) in rule 5,—
(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely —
“(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form ‘A’ to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).”;

- (ii) sub-rule (6), shall be omitted;
- (b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms)", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;
- (c) for Form A, the following shall be substituted, namely:-

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I,, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/pensioner	Relationship with employee/pensioner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated, under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari.....

Designation.....

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page Volume..... of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt.....

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:—

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,—
(क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, "पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;
(ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का 0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

No. 1/22/2012-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi
Dated: 10th July, 2013

Office Memorandum

- Sub: (i) Payment of arrears of pension in cases where valid nomination has not been made under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983;
(ii) payment of arrears of family pension – reg.

Attention is invited to the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 which provide that after the death of the pensioner, all moneys payable to the pensioner on account of pension will be paid to the nominee of the deceased pensioner. In the absence of any nomination made by the pensioner, the arrears of his/her pension are paid to the legal heir as per the procedure indicated in para 4 of part A of annexure to Ministry of Finance OM No. 1(3)-E.V/83, dated 11.10.1983. However, dependants of some pensioners expressed difficulties in obtaining the legal heir-ship certificates and represented that the necessity of production of legal heir-ship certificates may be waived where the amount of arrears payable is small.

2. The matter had been examined in Ministry of Finance, D/o Expenditure vide OM dated 04/06/1985 and it was decided that in case where a valid nomination does not exist under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and the dependent of pensioner is unable to produce the legal heir-ship certificate, the Payment of Lifetime Arrears of Pension accruing to the deceased pensioner may be authorized on the basis of any documentary proof regarding the relationship and heir-ship of the claimant if the gross amount of arrear does not exceed Rupees 25,000. In such cases, if the gross amount did not exceed Rupees 5,000 and case represented no peculiar features, the accounts officer was authorised to make the payment on his own authority.

3. The Government has further looked into the matter and decided to increase the limits of Rupees 5000 and 25000 as indicated in Department of Expenditure OM, dated 4.6.85 to Rupees 50,000 and 2,50,000 respectively. The conditions and the procedure of payment as indicated in Department of Expenditure OM, dated 22.10.1983 and 04.06.1985 will remain the same, which are reiterated hereunder.

4. The Pension Disbursing Authority (PDA) may receive application along with any documentary proof regarding the relationship and heir-ship of the claimant. In case the claimant is the recipient of family pension, the disbursing Officer will verify the identity of the claimant with reference to the disburser's half as well as pensioner's half of the PPO and give a certificate of having done so. PDA will duly attest the documents received from the applicant and forward these along with the application to the Accounts Officer. The Accounts Officer, on receipt of application along with a copy of PPO of the pensioner and other documents from the PDA, will calculate the amount of arrears and issue necessary authority for payment of life-time arrears to the disbursing authority if the case does not present any peculiar features and the amount does not exceed Rs.50,000. In case the amount exceeds Rupees 50,000 but does not exceed Rupees 2,50,000, the Accounts Officer will obtain the

orders of the Head of Department or Administrator or the CAG in the case of pensioners from Indian Audit & Accounts Department or any Officer of that Department declared as an HOD. Payment will be made on execution of a duly stamped indemnity bond in Form T.R. 14/G.A.R. 26, with such sureties as necessary in terms of para 7 below. In case of any doubt and also in cases where the amount of arrears exceeds Rupees 2,50,000, payments shall be authorized to be made only to the persons producing the legal authority.

5. This department's OM No. 43/4/95-P&PW(G), dated 30.10.1995 stipulates that in the event of death of a family pensioner, the right to receive any arrears of family pension would automatically pass on to the eligible member of the family next in line. The requirement of succession certificate for payment of any arrears occurs only where there is no member in the family who is eligible to receive family pension after the death of the family pensioner. Therefore, it has been decided that the provisions of this office memorandum will also apply to the payment of arrears of family pension where no member of family is eligible to receive family pension.


6. The Head of Department here means the Head of Department as defined in rule 2 (xvi) of the General Financial Rules, 2005. However, in order to ensure that the citizens do not have to face unnecessary hardships, it has been decided that in the case of field establishments, the Administrative Ministries/Departments may delegate the power of Head of Department to the Head of Office in the rank of Deputy Secretary/Director, if felt necessary by them. It is also clarified that this OM will cover all such past cases.

7. Normally, there should be two sureties, both of known financial stability. However, in case the amount of claim is less than Rs.75,000/-, the authority accepting the indemnity bond for and on behalf the President of India should decide on the merits of each case whether to accept only one surety instead of two. The obligor as well as the sureties executing the indemnity bond should have attained majority so that the bond has legal effect or force. The bond is required to be accepted on behalf of the President by an officer duly authorised under Article 299 (1) of the Constitution.

8. These orders will not be applicable in cases where a valid nomination exists under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. In such cases, the payment of arrears will be authorised to be made to the nominee (s).

9. As regards pensioners/family pensioners belonging to the Indian Audit and Accounts Departments, these Orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

10. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID Note No.568/E.V/2013, dated 28th June, 2013 and O/o Controller General of Accounts vide their ID No. 1(7)/TA-III/2011-12/Misc/116, dated 13.02.2013.


(Sujasha Choudhury)

Deputy Secretary to the Govt. of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. O/o The Comptroller & Auditor General of India
3. O/o The Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
4. Pensioners' Associations as per mailing list maintained in this department.

संख्या 1/22/2012-पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

- विषय: (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित्त मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)-ई.वी./83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/-रु० से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/-रु० से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/-रु० और 25,000/-रु० से बढ़ाकर क्रमशः 50,000/-रुपये और 2,50,000/-रुपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/-रु० से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रु० से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000 रु० से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वैध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95-पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/-रु० से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी./2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए-III/2011-12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।



(सुजाशा चौधुरी)

उपसचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय

लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

इस विभाग में उपलब्ध डाकपता-सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी-संघ।